International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

भारत में वर्तमान में महिला मानवाधिकारों का स्वरूप: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

DR. VINAY KUMAR PINJANI

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार

वर्तमान समाज अर्थवाद का दास सा बनता जा रहा है। जहां सम्पत्ति संग्रह की आनियमियता से अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद से सत्तावाद, तथा सत्तावाद, सम्मपत्ति, विलासितावाद, भोगवाद की ओर बढ़ रहा है। वहां पर आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नहीं है। महिलाओं के अधिकारों के हनन के विविध तरीके है, जिसमे महिलाओं के साथ ही अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरूषों द्वारा अधिकारों का हनन की शिकार रही है और आज भी है. यत्र नार्यस्तु पुज्यंते रमन्ते तत्र देवताः"अर्थात जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं। नारी एक वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नही हैं। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना भी नही कर सकते अर्थात नारी एक सर्जन हैं, रचनाकार हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं फिर भी इस पित्रसत्तात्मक समाज में उसे हीन दृष्टि से देखा जाता हैं। पुत्र जन्म पर हर्ष तथा पुत्री जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती हैं। भारतीय समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, वहां वही अधिकांश जगहों पर ये बदलाव महिलाओं के प्रतिकूल साबित हो रहे हैं।

परिचय

आज महिलाओं के पिछडेपन के कई कारण हैं जिनमें से एक बडा कारण उनका अशिक्षित होना हैं। समाजशास्त्रियों ने कहा है कि ''दस पुरूषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण हैं,[1]

भारत में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर- **1951** से **2011**

क्रमांक	वर्ष	पुरूष	महिलाएं	व्यक्ति	अंतर	
1.		1951	27.2	8.9	18.3	18.3
2.		1961	40.4	15.4	28.3	25.0
3.		1971	46.0	22.0	34.4	24.0
4.		1981	56.4	29.8	43.6	26.6
5.		1991	64.1	39.3	52.2	24.8
6.		2001	75.3	53.7	64.8	21.6
7.		2011	82.1	65.5	74.0	16.7

इस तालिका से ज्ञात होता है कि आजादी से आज तक साक्षरता के संदर्भ में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है लेकिन पुरूषों की तुलना में आज भी 16.7 प्रतिशत कम है, जो उनके पिछडेपन, शोषण तथा उत्पीडन का मुख्य कारण हैं। हालांकि केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने इस संबंध में कई प्रयास किए हैं किंतु इसमें वे पूर्णरूपेण सफल नही हो पाए हैं। जाहिर हैं योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभार्थियों का सहयोग भी उतना ही अहमियत रखता हैं जितनी कि अन्य बाते।[2] महिलाएं पुरूषों से किसी भी तरह से कमजोर नही हैं परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी हैं। गत वर्षो में महिलाओं के अधिकारों का जितना उलंघन हुआ हैं शायद पहले कभी नही हुआ।समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सडको, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई हैं, इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल हैं।[3]

दैनिक समाचार पत्रों में दिन-ब-दिन की घटनाएं छपी होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है जैसे- बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रुणहत्या, अपहरण, अगवा करना आदि। यह सच हैं कि आज महिलाओं ने अपने आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया हैं परंतु उनके इस विकास में

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

उनकी दृढ इच्छा शक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान हैं जो मानसिकतौर पर नारी को निरंतर विकास की ओर गतिशील किया हैं।[4] भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हैं। वैदिक युग में पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आशिर्वाद देता था कि वह सार्वजनिक कार्य और कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करे। सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव महिलाओं की उसी ओजस्विता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। वस्तुतः भारत दुनिया के उन थोडे से देशों में से हैं जहां की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं और जहां मनुष्य को मनुष्य बनाने में उनके योगदान को स्वीकार किया गया हैं किंतु विभिन्न कारणों से कालांतर में भारतीय समाज में महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक स्थिति निरंतर कमजोर होती हैं[5] और पुरूष समाज द्वारा आरोपित मर्यादा और अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया गया हैं। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो कि विश्व के सभी लोगों को मानव समुदाय का सदस्य होने के नाते अधिकार प्रदान करता है अर्थात मानवाधिकार के तहत सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के समान अधिकार प्राप्त होते है। परंतु इसी के समाने समाज के कुछ वर्गों जिनमें विशेषतः महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यांक एवं शरणार्थी वर्ग को रखा जा सकता है लेकिन अध्ययन के दृष्टकोण से महिलाओं के संदर्भ में विवेचन करने का प्रयास किया गया है। महिलाएं जो कि समाज की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है। महिलाओं की स्थिति एवं दर्जा भारत में ही नहीं विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल से ही दयनीय रही है।[6] महिलाओं के साथ हमेशा ही अत्याचार किय जाते रहे है। महिलाओं का अशिक्षित होना एवं आर्थिक स्तर पर भी विविध प्रयास किये जा रहे है, जिसके कारण परिणाम सकारात्मक देखे जा रहे है। आज विश्व में महिला साक्षरता का प्रतिशत दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।[7]

सर्व विदति है कि किसी भी समाज के निर्माण एवं विकास में महिला और पुरूष दोंनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। महिला व पुरूष को समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए के समान माना गया है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए महिला एवं पुरूष की सहभागिता अनिवार्य होती है। विकास के साथ ही साथ नैसर्गिक सिद्यांत की पालना एवं पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है। महिलाओं के अधिकार की कमी मानव सभ्यता के साथ होती गई और समय के साथ ही साथ महिलाओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन रहा है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनियां में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे है। इस परिपे्रक्ष्य में महिलाएं और मानवाधिकार दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते है। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिये गये है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मानवाधिकारों के नजरिये से महिलाओं को विशेष रूप से व्यवहार करने योग्य माना गया है। महिला आन्दोलन के इस दौर में एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है।[8] महिलाओं के मानवाधिकार का हनन मात्र अपराधी ही नहीं करते है अपितु पुलिस व सुरक्षा बल भी इस मामले में ज्यदा पीछे नहीं है। महिलाओं को आमतौर पर अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य माना जाता है इसीलिए महिलाओं के विरूद्ध दुनिया भर में अपराध बढ़ रहे है। चाहे घर हो या बाहर, स्कूल हो या कार्यस्थल महिलाओं को हर जगह विविध प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय समय पर काफी प्रयास किये है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि ''हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग....मूलभूत मानवाधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा व मूल्यों में तथा महिला व पुरूषों के समान अधिकरों में आस्था व्यक्त करते है.....।'[8]' इस प्रकार कहा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ''मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषण-पत्र'' में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकरों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। [9]

मानवाधिकार का ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य

19वी सदीं में बदलाव आना प्रारंभ हुआ जब नवजागरण काल में भारतीय फलक पर अनेक सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए। बंगाल में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। महाराष्ट्र में सन् 1848 में सावित्री बाई फुले ने लडकियों हेतु प्रथम स्कूल पुणे में खोला। नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशिष्ट प्रयास था फलतः समूचे भारत की महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होने लगी। 20 वी सदीं में इस प्रक्रिया को ठोस धरातल और भक्ति भारत में आजादी के बाद मिली। भारत के संविधान ने महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरूषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अब भी दूर थी और है। संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार -राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्यात साधन प्राप्त करने का

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

अधिकार है। अतः भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया।[10]

सर्वप्रथम 1946 में महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी। महासभा ने 7 नवंबर 1967 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय अंगीकार किया। 1981 एवं 1999 में अभियमय पर ऐच्छिक नवाचार को अंगीकार किया जिससे लैंगीक भेदभाव, यौन शोषण एवं अन्य दुरूपयोग से पीडित महिलाओं को अक्षम बनाएगा। मानव अधिकारो की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों मेंं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लिया हैं।[11] मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानवाधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित भी किए जा चुके हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ हैं, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ होने लगी हैं। अब महिला-उत्पीडन की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानवधिकारो की समुचित सुविधा की हैं। आज महिलाएं कर्मक्षेत्र में भी आगे आई हैं। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं[12] लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन की घटनाएं होने लगी तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप कर यौन उत्पीडन की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। विशाका बनाम स्टेट आॅफ राजस्थान, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. उमा का इस सम्बंध में महत्वपूर्ण मानना हैं। उल्लेखनीय हैं कि महिलाओं के प्रति निर्दयता को उच्चतम न्यायालय ने एक निरंतर अपराध माना हैं। पति द्वारा पत्नी को अपने घर से निकाल देने तथा उसे मायके में रहने के लिए विवश करने पर आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज किया गया हैं।[13] महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकारो पर विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया हैं कि धर्म, कुल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नही किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई हैं। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नही किया जा सकता हैं। उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट आॅफ उत्तर प्रदेश, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन एवं पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 महिलाओं को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती हैं।[14] श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्री तथा रात्रि में कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसुति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर महिला विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया हैं। बदलते परिवेश में संविधान में 12वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकृत किया गया हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षा एवं सतत प्रयासरत हैं।[15]

वर्तमान में भारतीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही हैं परंतु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सडको एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। प्रताडना, छेडछाड, अपहरण, बलत्कार, भ्रुण हत्या (यौन उत्पीडन, दहेज मृत्यु, दहेज निषेद व अन्य) यह अन्याय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करके सिद्धांत की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शमिल हैं। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा हैं।[16]

मानवाधिकार की संकल्पनाः

मानवाधिकार की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्यांत तथापि ‘‘मानव अधिकारों’’ की अवधारणा की नये रूपों में उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंर्तराष्ट्रीय चार्टरों एवं अभिसमयों से हुई। सर्व प्रथम, अमेरिकन तत्कालिक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में ''मानव अधिकार'' शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होने 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी, इनको उन्होंने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था- वाक स्वातंत्र्य, धर्म स्वतंत्र्य, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वातंत्र्य, इन चारों स्वतंत्रता से देश में अनुक्रमण में राष्ट्रपति घोषणा की, ''स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्ही को है, जो उन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संर्घष करते है। ''मानवाधिकारों के महत्वों को समझाते हुए सयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम की घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से की थी। जिसे मानवाधिकर दिवस के रूप में जाना जाता है।[17]

मानवाधिकार का अर्थ:

मानवाधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए मनुष्य को मानव होने के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकार एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है अर्थात वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, उन्हे मानव अधिकार कहा जाता है। इसमे मनुष्य की जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीयता एवं व्यवसाय के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मानवाधिकारों के कारण ही किसी समाज में रहने वाले पुरूष व महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते है तथा समाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते है।[18]

मानवाधिकारों की प्रकृति:

मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते है जिनका राज्यों द्वारा आदर किया जाना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अधिकार ऐसे मापदंढ होते है जिसके माध्यम से राज्यों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना संभव हो पाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों को उपयोग की प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता हैः-

1. मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूपः ऐसे अधिकारों से है जिनके द्वारा राज्यों को कुछ करने से रोका जाता है। जिसके अंर्तगत किसी भी व्यक्ति को कानून के उलंघन के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता है। व्यक्ति को किसी भी धर्म संप्रदाय के अनुसार आचरण करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि इन नकारात्मक अधिकारों की सीमाएं किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक दशाओं के आधार पर अलग-अलग होता है।
2. मानवाधिकारों को संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप: मानव अधिकारों के सकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारो से है जिसके अंर्तगत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है अर्थात अपने यहां इस प्रकार के दशाओं का निर्माण करेगा जिससे प्रत्येक स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके। उदाहरणार्थ महिलाओं के लिए समानता एंव संपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना, सरकारों द्वारा गरीबों के खाने एवं रहने का प्रबंधन करना, किसानों के लिए छूट का प्रावधान आदि।[19]

मानवाधिकार की विशेषताएं:

1. सार्वभौमिकता: मानव अधिकारों को सार्वभैमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकार सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर, तथा सभी स्थिति में प्राप्त होत है। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अर्तगत कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते है अर्थात यह अधिकार किसी एक विशेष एवं राजनैतिक स्थिति में प्रतिबंद्ध नही होते हैं।
2. सर्वोच्चताः मनव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित स्तर पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नही किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकरों को संवैधानिक एवं कानूनी आधारों पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है।
3. व्यविहारिकता: मानव अधिकारों की व्यवहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते है तथा उन्हे व्यवहारिक तभी माना जा सकता है कि जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करे जिसमे वे अपना जीवन यापन कर सकें। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही मानव अधिकारों के वास्तविकता को प्रदान करता है।[20]
4. क्रियान्वयन योग्य: मानव अधिकरों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किये जाने योग्य होते है। अर्थात ऐसे अधिकारों को कोई महव नहीं होता है। जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता लेकिन संरक्षण अभिकरणों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता हैं।

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

5. व्यक्तिगत: मानव अधिकरों की अवधारण की उत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके तहत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है अर्थात वह बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति अपना स्वयं भला-बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

मानव कर्तव्यों का अर्थ:

मानव कर्तव्य से आशय मानव को मानव होने के नाते नैतिक अधार पर समाज के अन्य व्यक्तियों एवं जीवों को जीने एवं विकास के लिए अवसर प्रदान कराने में सहयोग प्रदान करे। मानव कर्तव्य के तहत मनुष्य अन्य मनुष्यों को भी अपने समान ही इस समाज का ही एक अंग मानते हुए उसके महत्व को स्वीकार करे और उसे भी वहीं अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित कराने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे उसे समानता के अवसर प्राप्त होते है। अर्थात मानव कर्तव्य एकाधिकार के विपरीत अवधारणा है जिसमें मानव अपना ही वर्चस्व रखना चाहता है। मानव कर्तव्य पालन द्वारा न केवल स्वयं के अधिकारों की अपितु, अप्रत्यक्ष अन्य के अधिकारों की रक्षा करता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वधर्म समभाव से संचालित कर्तव्यों की पूर्ति कर वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर ही स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के अधिकारों को किया जा सकता है। मानव कर्तव्यों का सीधा संबंध मानवता से है। मानवता द्वारा ही मानव कर्तव्यों के पालन के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है।[21]

मानवाधिकार के वर्ग:

मानवाधिकार के अंर्तगत विविध प्रकार के प्राकृतिक, संवैधानिक और विधिक अधिकार आते है। इस संदर्भ में विद्वानों ने इन्हे अपने अपने तरीके से बांटने का प्रयास किये है। मानवाधिकारों को वर्गीकृत करने के दो प्रमुख आधार है- 1. जीवन के विविध क्षेत्र और 2. अधिकारों को बनाये रखने वाले कानून। इस आधार पर मानवाधिकार के प्रमुख वर्ग इस प्रकार हैः-

1. प्रकृतिक अधिकार: ये अधिकार वे अधिकार होते है जो मानव को स्वभाव में ही निहित है। स्वप्रज्ञा का अधिकार, मानसिक स्तर का अधिकार, जीवन का आधार आदि इसी श्रेणी में आते है ये बेहद महत्वपूर्ण माने जाते है।
2. मौलिक अधिकार: मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिने बिना मानव का विकास नहीं हो सकता है। जैसे जीवन का अधिकार मानव जीवन का मूलभूत अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक समाज का मूल कर्तव्य है।
3. नैतिक अधिकार: यह सिद्धांत निष्पक्षता एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो पर आधारित है। समाज में मानव इन अधिकारों को प्राप्त करने का आर्दश रखता है। सामाजिक व्यवस्था में ये अधिकार बहुत आवश्यक होते है।
4. कानूनी अधिकार: इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान समझा जाएगा एवं साथ ही कानूनों का समान संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। ये समय समय पर परिवर्तित किये गये है।
5. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार: ये वे अधिकार है जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है।
6. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार: भारतीय संविधान के भाग चार में नीति निदेशक तत्व मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की मांग करते है लेकिन यह निर्धारण करना कठिन होता है कि कौन सा अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम।[22]

मानवाधिकार एवं कर्तव्य:

आधुनिक युग संविधान एवं प्रजातंत्र का युग है। प्रत्येक प्रगतिशील एवं सभ्य राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसका उपयोग नागरिकों को वैधानिक सीमाओं में रहकर करना होता है। अधिकारों का दस्तावेज राज्य की प्रकृति का निर्णय करता है और राज्य व नागरिकों के संबंधों का समुचित निरूपण करता है। अधिकारों द्वारा प्रदत्त सुअवसरों के अभाव में उत्तम जीवन की कल्पना करना कठिन है। जब कभी हम मनुष्य के अधिकारों अथवा मानव अधिकरों की बात करते है, तो उन में मान्यता अर्तनिहित होती है, कि अधिकार समाज सृष्टि है, राज्य उन्हें प्रदान करता है और उनका आधार कल्याण होता है। मानव अधिकार के संरक्षण के लिए लेन-देन के भावना के आधार पर कार्य किया जाता है जो कुछ हम अपने लिए चाहते है दूसरों को भी करने दें। यह बात अधिकारों की धारणा में स्वतः निहित है, और इसे ही मानव कर्तव्य कह सकते है। सार रूप में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े है अर्थात एक सिक्के के दो पहलू हैं। यद्यपि उनके पीछे समाज की नैतिक शक्ति निहित होती है, तथापि यह राज्य सत्ता का कर्तव्य है कि वह अधिकारों का पालन करवाये

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

केवल लिखित रूप से अधिकार प्रदान कर देना ही पर्याप्त नहीं है अर्थात अधिकारों की सार्थकता तब ही है जब राज्य उनके उपयोग के लिए समुचित वातावरण मानव को कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नैतिक रूप तैयार करे।[23]

मानवाधिकार आयोग:
व्यक्ति के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ काफी दिनों से प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूती से विश्वास है कि यदि दुनिया सामाजिक प्रगति, स्वतंत्रता, समानता, शांति आदि के साथ आगे बढ़े जो मानव की गरिमा और मानवाधिकारों की रक्षा आसानी से की जा सकती है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ समकालीन विश्व में मानवाधिकारों के लिए संर्घषरत लोगों के लिए केन्द्रीय भूमिका अदा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपनी घोषणा में कहा था कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की स्थापना की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के बारे में सर्वप्रथम चर्चा 1846 में की आर्थिक सामाजिक परिषद में की गई। इसके दो वर्ष पूर्व मानव अधिकार घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर एक सामान्य घोषण कर दी गई थी। 14 वर्ष बाद पुनः सवाल उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने यह संभावना व्यक्त की कि राष्ट्रों के संगठन जो मानव अधिकारों के लिए गठित किये गये है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते है। 1960 एवं 1970 के दशक में इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा होने लगी। 1978 में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने मानव अधिकार आयोग पर एक अर्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और 1978 में जेनेवा में भी राष्ट्रीय आयोग गठन करने के लिए नीतिगत चर्चा की गई। 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस क्षेत्र में गहरी रूचि दिखाई और महासचिव ने तमाम प्रतिवेदन सामान्य सभा को सौपे। इसी समय विश्व के कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग की सहायता से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।[24]

भारत में मानवाधिकार आयोग:
भारत में मानवाधिकार आयोग का इतिहास लंबा है आधुनिक काल में भारत में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष आजादी से काफी पूर्व ही आरंभ हो गया था। भारत को अंग्रेजो की दासता से मुक्ति मिली तो लोगों ने मानवाधिकारों के लिए कई मांगें सामने रखने लगें, उसके बाद सरकार ने आम जनता के मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून में कई प्रावधान किये। धीरे-धीरे मानवाधिकारों की सिथति में सुधार होने लगी लेकिन 1975 के आसपास भारत में मानवाधिकारों को गहरा धक्का लगा। 1975 से 1977 के बीच आपातकालीन सिथति में मानवाधिकारों का बुरी तरह हनन हुआ। 14 वर्ष के करीब 1991 में कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र परिषद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का वायदा मतदाताओं से किया। 1992 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के संदर्भ में विरोध के बावजूद बार बार यह मांग उठती रही कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जल्द से जल्द की जाय।[25]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य:
1ण् किसी भी सिथति में मानवाधिकारों के उलंघन होने पर कार्यवाई करना,
2ण् लंबित मामलों पर आयोग द्वारा हस्ताक्षेप,
3ण् भारत या राज्य के किसी भी जेल के कैदियों की हालचाल के लिए मुलाकात एवं सुधारात्मक उपाय सुझाना,
4ण् अनर्तराष्ट्रीय संधियों एवं उपायों के बारे में अध्ययन करना और उसे लागू करने की सिफारिश करना,
5ण् मानवाधिकारों के बारे में शोध कार्य करना[10],
6ण् मानवाधिकारों के बारे में लोगों को जानकारी देना ओर इसके विकास के बारे में जागरूक बनाना,
7ण् इस दिशा में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों को प्रोत्साहित करना, आदि।[26]

महिला मानवाधिकारों की सोचनीय स्थिति:
1. जन्म से पूर्व: जबरदस्ती गर्भधारण, गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या,
2. शैशावावस्था के दौरान: शिशु कन्या हत्या, माता-पिता द्वारा खन पान मे भेदभाव, मारपीट, व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान न देना,
3. किशोरावस्था के दौरान: शीघ्र विवाह, परिवार व अपिरिचितों द्वारा यौन शोषण, बाल वेश्यावृति, मूलभूत सुविधाओं का अभाव,[9]

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

4. युवावस्था के दौरान: कार्यस्थलों पर शोषण, यौन उत्पीड़न, अवैध व्यापार, बालात्कार, अपहरण, छेड़छाड़,
5. नारित्व के दौरान: विवाह हेतु दहेज की मांग, विवाह के बाद दहेज के लिए मारपीट व हत्या एवं आत्महत्या हेतु मजबूर करना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा आदि।[27]

संविधान, कानून और महिलाएं:

भारतीय संस्कृति एवं जीवन पद्धिति में मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा प्राचीन काल से ही संस्थापित है। महाभारत कालीन साहित्य एंव कौटिल्य आदि के समय में महिलाओं पर प्रहार करना, निरापराधियों को सताना, राज्य प्रतिनिधियों को अपमानित करना, वर्जित माना गया था। समाज एवं परिवार में मानव अधिकरों का आदर करना भारतीय परम्पराओं और आस्था का स्भाविक अंग माना गया है।[8] ब्रिटिश गुलामी के दिनों में भारत के कई क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामन्तवादी प्रवृति का बोलबाला था मालिक वर्ग गरीब मजदूरों से कम परिश्रमिक में अधिक कार्य करवाते थे। कभी कभी तो पशुओं से खराब बदतर व्यवहार किया जाता था। किन्तु स्वतंत्रता के बाद कुछ बदलाव आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों ने अमानवीय स्थितियों को समाप्त कर सुव्यवस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा कायम करने का प्रयास किया। संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है:-

1ण् अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत पुरूष और महिलाओं को आथर्ि◌ाक, राजनैतिक एंव सामाजिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं।[28]

2ण् अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म मूलवंश जाति लिगं जन्मस्थल के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा। प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कत्तव है कि वह महिलाओं पर अत्यचार न होने दें।[7]

3ण् अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत पुरूषों एंव महिलाओं को बिना भेदभाव के सार्वजनिक नियुक्तियों तथा रोजगार के सम्बध में समान अवसर का अधिकार है।

4ण् अनुच्छेद-23 के अनुसार नारी के देह व्यापार से उसकी रक्षा की जाये। इस दृष्टि से संप्रेशन ऑ◌ाफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स एक्ट 1956 पारित किया गया।

5ण् अनुच्छेद 39 में पुरूष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार है।

6ण् अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता का उपबन्ध एवं

7ण् अनुच्छेद-51 इसके अन्त्रतगत उन सभी बातों का परित्याग करना जो नारी सम्मान के विरूद्ध है।[29]

8ण् अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के एक तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान एवं संविधान की धारा 243 डी में संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के बजाय 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[6]

महिलाओं के लिए नियम व अधिनियम:

भारतीय संविधान एवं विभिन्न दंड सहिताओं में भी कई ऐसे नियम, विनियम एवं अधिनियम आदि बनाएं गए है जिसकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा अंग्रजों के शासनकाल में भी कुछ महिलाओं से संबंधित अधिनियम बनाये गए जिसकी बजह से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिले है। जैसे- सती प्रथा उल्मूलन अधिनियम, विधवा पुर्नविवाह, सिविल मैरिज अधिनियम, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम आदि। महिलाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैः-

1. भारतीय दंड सहिता, 1860: इसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध सजा देने की व्यापक रूप से व्यव्स्था की गई है।[30]
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961: 1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंण्डित जावाहरलाल नेहरू ने दहेज को एक समस्या एवं मानव मात्र पर एक कलंक एवं कुप्रथा मानते हुए इस कानून को पारित करवाया था। इसके माध्यम से दहेज जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई।
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956: यह अधिनियम निर्देशित करता है कि आज एक लड़की को भी अपने माता-पिता की सम्पत्ति में लड़के की भांति अधिकार प्राप्त है। जितना कि पुत्र यानि कि जहां तक पिता की सम्पत्ति का सवाल है लड़का एवं लड़की दोनों ही बराबर के उत्तराधिकारी है। लेकिन जहां तक पैत्रिक सम्पत्ति रूप से प्राप्त सम्पत्ति पर सवाल है आज भी महिला की स्थिति पुरूष जैसी नहीं है।
4. मुसलमान उत्तराधिकार संबंधी विधि: इनमें कुरान सरीफ की आयातों के अनुसार सदा से चला आ रहा है एवं महिलाओं के संदर्भ में कानून थोड़ा कठोर है हलांकि इस कानून में स्वयं अर्जित एवं पैत्रिक सम्पत्ति में कोई भेदभाव नहीं है।[6]
5. दण्ड प्रक्रिया 1973: इस प्रक्रिया में किसी भी महिला की तलाशी या अन्य संबंधित जांच के लिए महिला या महिला पुलिस के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

6. हिन्दू विवाह अधिनियम 1956: इस अधिनियम में पति–पत्नी के वैवाहिक जीवन जैस शादी, व्याह, तलाक एवं सजा आदि के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है।
7. मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1939ः इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अति दयनीय थी लेकिन इस अधिनियम के बनने के बाद पत्नी को भी तलाक देने के कुछ अधिकार प्रदान कराये गये।[31]
8. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम, 1956: पति–पत्नी के बीच विवाह विच्छेद की स्थिति में अथवा अन्य परिस्थिति के कारण अगर पति–पत्नी अलग रहते है जो नुकसान उन्हें ही भुगतना पड़ता है, इससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति उन बच्चों की हो जाती है जिनके माता–पिता अलग रहते हो, क्योंकि दोनों के बीच झगड़ा इस बात का रहता है कि अवयस्क बच्चे किसके पास रहें।[5]
9. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982: साक्ष्य का आसाधारण अधिनियम यह है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके द्वारा आक्षेप लगाया गया हो और ऐसी ही स्थिति में महिलाओं पर होने वाला अत्याचारों के मामलों में भी थी।
10. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929: 21वीं शदी में भी भारत के कुछ ग्रामीण एवं कुछ शहरी इलाकों में छोटे–छोट बच्चों को मंडप में बिठाकर उनकी शादियां रचाई जा रही है, इस अधिनियम में शादी की आयु का निर्धारण एवं नियम का उलंघन करने पर सजा, जुर्माना आदि का प्रावधान किया गया है।
11. सती निवारक अधिनियम, 1987 व राजस्थान सती निवारक अधिनियम, 1987: इस इधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसकों महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये।
12. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, संशोधित 1978 व 1986: इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के प्रति यौन–शोषण करने को संज्ञेय अपराध माना गया है।
13. ‘‘सप्रेशन आॅफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एंड गर्ल एक्ट’’ 1950 संशोधित 1978 व द इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेन्शन एक्ट 1986: अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, से मिलता जुलता है।[4]
14. गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम, 1971: प्रारंभ में हमारे देश में गर्भपात करना एवं करवाना दोनों ही भारतीय दंड सहिता–1860 के अनुच्छेद 312-316 के अनुसार अपराध थे। यह अधिनियम महिलाओं के स्वस्थ्य को देखते हुए बनाया गया है।
15. चलचित्र अधिनियम, 1952: फिल्मों का समाज में गहरा असर पड़ता है इसलिए सेन्सर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी फिल्मों पर रोक लगाएगा जिससे महिलाओं को अश्लील रूप में दिखाया गया हो तथा महिलाओं की मर्यादा भंग हो।[3]
16. स्त्री अशिष्ट प्रतिबंध अधिनियम, 1986: इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री के शरीर के अश्लील चित्रण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी महिला को इस प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे उसकी सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचे या उसका मान घटे। इससे संबंधित छेड़खानी निरोधक कानून, 1978, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952, इंसिडेन्ट रिप्रेजेन्टेशन आॅफ वूमेन प्रोहीबिशन एक्ट, 1986 आदि है।
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954: इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ–साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी महिला अपना धर्म परिवर्तन किये वगैर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती है।[1]
18. कारखाना अधिनियम, 1948, संशोधन–1976: इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी कारखाने या उद्योग–धंधे में महिलाओं की संख्या 30 से अधिक होगी तो प्रबंधन को वहां एक शिशु–गृह की व्यवस्था करनी होगी। ताकि काम के घंटों के दौरान महिलाएं अपने बच्चों को शिशु गृह में छोड़ सकें।
19. अपराधिक कानून अधिनियम, 1961: इस अधिनियम के तहत महिलाओं ऐसे अधिकार एवं विशेष रियायते दी गई है कि महिला अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, एंव भावनात्मक शोषण से बचाने और उनके हितों के लिए और भी कानून है जो इस प्रकार है– समान परिश्रमिक अधिनियम–1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, अभद्र निरूपण पिशेध अधिनियम–1986, ठेकेदरी श्रम नियम एवं उन्मूलन अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम–1990, कुटुंब न्यायालय अधिनियम–1985 आदि।[2]

सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में कहने के लिए तो महिलाओं को पुरूषों के बाराबर दर्जा प्राप्त है लेकिन वास्तविकात आज भी देखी जा रही है कि विवाह, तलाक, काम, संम्पत्ति में अधिकार, गुजारा भत्ता आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बराबरी के नाम पर महिलाओं के साथ भद्दा मजाक न किया गया हो। भारतीय संविधान, राज्य व केन्द्र सरकार, पंचायती राज व्यवस्था आदि के माध्यम से महिलाओं पर हाने वालेअपराध व अत्याचार के निदान के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं पर अत्याचार सुचारू रूप से फल–फूल रहा है। वर्ष 2009-10 में 16620 हजार महिलाओं ने पुलिस विभाग का सहारा लिया है। ग्रामीण समाज की तुलना में

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

सुशिक्षित व शहरी भाग में अत्याचार का प्रमाण पाया गया। इस राज्य की विधि रिपोर्ट व प्रकाशित समाचार पत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि महिलाओं पर दहेज की मांग को लेकर मराठवाड़ा क्षेत्र में मामले पाये गये है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं का घरेलू हिंसा नियंत्रण के लिए विविध स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम कियान्वित किया जाता है। देश में दहेज लेने वालों पर कानूनी कार्यवाई का प्रावधान किया गया है।[3]

महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नही हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जडे सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नही पर यदि पाश्चात्य एवं विकसीत देशों पर दृष्टिपात करे तो ऐसा लगता हैं कि इसका कारण मानविय संरचना व स्वभाव में अंतनिहित होने के कारण जड से इसका उन्मुलन सम्भव नही हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पडेगा। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता हैं कि एक ऐसी सामाजिक पहल हों जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।[4]

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरूद्ध संघर्ष के लिए और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हैं जिसके लिए दीर्घकालीन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत हैं। समाचार पत्र समूह, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आदि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकते हैं हम सभी को गांधी जी के इस विचार को याद रखने की आवश्यकता है कि–"स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हों"। और साथ ही महिलाओं को अपने जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए। सैद्यांतिक रूप से महिलाओं के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं है लेकिन व्यवहारिकता में कोसों दूर देखा जा रहा है। समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए कतिपय अधिकारों की आवश्यकता होती हैं जिसके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है, इन्ही को मानव अधिकार कहा जाता हैं जो कि अन्य असंक्रमय होते है। अतः व्क्ति और मानवाधिकार को अंर्तराष्ट्रीय समुदाय का जो नियम बनता है, वह अंतराष्ट्रीय विधि होती है। अंर्तराष्ट्रीय समुदाय में राज्य के साथ साथ व्क्ति भी अंर्तराष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जहां अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्रणी माना, वह आज के युग में भी लागू हैं परंतु अब कार्यवाही द्वारा मानव अधिकारों को अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे राज्य कार्यवाही पर निर्बंधन आरोपित करते है।[5]

विचार-विमर्श

मानवाधिकार का आश्य उस न्यूनत्तम स्वतंत्रता से है, जो व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योकि वह मनुष्य है। आधुनिक काल में मानव - अधिकारों से संबधित दो अवधारणाएं प्रचलित है -[6]

1. उदारवादी अवधारणा - इस अवधारणा की मान्यता है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके तथा सम्मानपूर्वक सुसंस्कृत जीवन - यापन कर सके। इस अवधारणा को मानने वाले में ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका तथा अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से युक्त देश शामिल है।[7]
2. विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, भारत में सबसे अधिक प्रचलित मानव अधिकर हनन के मामले से निपटने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद मानव अधिकरों के उल्लंघन की समस्या बनी हुई है। इस देश में प्रगतिशील नागरिक समाज, स्वतंत्र जनसंचार माध्यम (मीडिया) और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, किन्तु लम्बे समय से जारी अभद्र बर्ताव, भ्रष्टाचार और अपराधियों के प्रति जबावदेही में कमी के कारण मानव अधिकरों के उल्लंघन को बढावा मिलत रहा हैं।[8]

सामाजिक संरचना, व्यवस्थाऐ, परम्पराऐ, रूढियां एवं रीति रिवाज ये मानवकृत होकर भी मानव विभेदक है। इन्होंने सामाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री - पुरूष के मध्य विभेदीकरण की लकीर खींच दी।

साहित्य एवं ज्ञान लोक ने नारी को गुह कार्य एवं काम प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्यकारों ने सौदर्य - बोधक स्वरूप में। धार्मिक ग्रंथों व पुराणों में महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति में बाधक माना गया। नारी निमार्ण की इस प्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गई। उसे समाज में दौयम दर्जा दे दिया गया।[9]

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति या दशा उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरती रही है। भिन्न-भिन्न कालों में उसकी भिन्न महत्ता स्थापित की गई। बौद्धिक व औधोगिक क्रांति के इस नए दौर में महिलाओं की महत्ता स्वीकृत की जाने लगी है।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिसमें मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। वस्तुतः यह प्रथम सुसंगठित और संशक्त प्रयास था। मानवाधिकारों के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय अनुच्छेद में कहा गया कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और गरिमा एवं अधिकारों में समान होता है ।

अतः सभी बिना किसी भेदभाव के जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति एवं अन्यतम, राष्ट्रीय तथा सामाजिक उत्पति, सम्पति, जन्म अथवा अन्य स्तर आदि के सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के अधिकारी है।[10]

यथार्थ में आज भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन विभिन्न रूप विद्यमान है जो आए दिन मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पंहुचते रहते है। इनके अन्तर्गत बलात्कार,, यौन हिंसा, छेड़छाड़, असमानता का व्यवहार, शारीरिक हिंसा, अश्लील साहित्य व अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा महिला अश्लीलता का प्रचार-प्रसार महिलाओं में साक्षरता का असंतोषजनक स्तर, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं में आर्थिक निर्भरता का असंतोषजनक प्रतिशत, पारिवारिक सम्पति में महिलाओं का नगण्य अधिकार, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, वेष्यावृति तथा राजनीति में महिलाओं की खेदजनक सहभागिता आदि यह प्रमुख परिस्थितियां है, जिनके कारण महिलाये आज अपने अस्तित्व हेतु संर्घष भी समुचित ढ़ंग से नहीं कर पा रही है।[11]

दिल्ली जैसा शहर भी महिलाओं के सम्मान को सुनिष्चित करने में समक्ष नहीं है, भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण विधेयक भी महिलाओं के ही समान उपेक्षित हो रहा है। मधुमिता हत्याकाण्ड़, बिलकिस बलात्कार काण्ड, मनोरमा बलात्कार काण्ड़, तन्दूर काण्ड, निर्भया गैंगरेप आदि वे घटनाये है जो किस कारण सुर्खियां पा जाने से चर्चित हुई है। जबकि वास्तविक रूप में ऐसी अनगणित घटनाये प्रकाश में आने से वंचित रह जाती है।[10]

महिला सरपंच पंचायतों के विषयों में निर्णय लेने में कितनी सक्षम सिद्ध हुई है ? यह सभी जानते है, इण्डिया-टुडे द्वारा राष्ट्र के 50 ऐसे लोगों की सूची प्रकाशित की गयी है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में शिखर पर है। इस सूची में मात्र 05 महिलाओं के नाम है।[9]

पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने महिलाओं की आलोच्य स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके लिए कोई जगह यहां तक कि मां की कोख भी सुरक्षित नहीं है, जन्म से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुम्बई के एक सम्मेलन में फ्रेड अर्नाल्ड और टी0के0 राय ने अपने पर्चे में परिवार के अन्तिम बच्चे के लिंगानुपात की गणना की है, उनका निष्कर्ष है कि 'मेघालय को छोड़कर शेष समस्त राज्यों में पारिवारों में अंतिम बच्चे में लड़कियों का अनुपात अन्य बच्चों में लड़कियों के अनुपात से कम है।[8]

वर्तमान में महिलाये असमानता, यंत्रणा व शोषण के दुष्चक्र में फंसी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विसंगति तो यह है कि महिला को मात्र महिला नहीं समाज का आधा अंश स्वीकारते हुए जब इस दुष्चक्र के परिणामों को चिन्तन का केन्द्र स्वाकारा जाता है तो एक निष्कर्ष तत्काल प्राप्त होता है कि आधा समाज शोषित है। बिडम्बना यह भी है कि इस आधे समाज के शोषण के दुष्प्रभाव से शेष समाज भी अस्पृश्य नहीं रह सकता है।उदाहरणार्थ अशिक्षित, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक रूप से शोषित महिला और यातनाग्रस्त महिला अंतत उसी राष्ट्र की कुंठित व अल्पविकसित नागरिक तो होती ही है, साथ ही साथ में वही महिला अंततः किसी की अशिक्षित मां या पत्नी बनती है, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्यक्षतः परिवार पर और अंतः पूरे समाज पर पड़ता है।आज भले ही दहेज-प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, बालश्रम, बाल विवाह आदि समस्याओं के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है, परन्तु कानून तब तक कारगार नहीं होता जब तक जनता का सहयोग न मिले अर्थात् जनसहभागिता प्राप्त नहीं हो।

सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन समाज से इन समस्याओं को मिटाने के लिए प्रयासरत है। इस कार्य में मीडिया भी अपनी संशक्त भूमिका निभा रहा है। आवश्यकता केवल इस बात कि है कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो एवं अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करें।[7]

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

परिणाम

"हमारे समाज में कोई सबसे अधित हताश हुआ है तो वे महिलाएं ही हैं और इस बजह से हमारा अंधःपतन भी हुआ हैं महिलापुरूष के बीच जो फर्क प्रकृति के पहले है और जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, उसके अलावा मैं किसी किस्म की फर्क को नही मानता" महात्मा गांधी

भारत में अतीत से ही नारी का सर्वोपरी स्थान रहा हैं परंतु गत वर्षो में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया हैं। नारी एक वह पहलू हैं जिसके बिना किसी समाज की रचना संभव नही हैं। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना भी नही कर सकते अर्थात नारी एक सर्जन हैं, रचनाकार हैं। यह कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होती हैं फिर भी इस पित्रसत्तात्मक समाज में उसे ही दृष्टि से देखा जाता हैं। पुत्र जन्म पर हर्ष तथा पुत्री जन्म पर संवेदना व्यक्त की जाती हैं।[6] भारतीय समाज में आज भी पुत्रों को पुत्रियों से अधिक महत्व दिया जाता हैं। "यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं। विविध प्रतिवेदनों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकार का जितना उलंघन हुआ है, शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंखया 1,028737,436 है जिसमे ग्रामीण जो विश्व के प्रतिशत में 16.44 प्रतिशत है। 1000 में से 933 महिलाएं है। आजादी के 63 वर्षो के बाद भी महिलाओं की साक्षरता 64.8 प्रतिशत है, जिसमें 53.7 महिलाएं व 75.3 प्रतिशत पुरूष है। महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो यहां की जनसंख्या 9,68,78,627 है। 5,57,77,647 ग्रामीण एवं 4,11,00,980 नगरीय जनसंख्या है। इस राज्य का लिगांनुपात 1000 में से 922, कुल साक्षरता 76.9 प्रतिशत है जिसमें 86.0 पुरूष एवं 76.0 महिलाओं का है।[5]

केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने इस संबंध में कई प्रयास किए हैं किंतु इसमें वे पूर्णरूपेण सफल नही हो पाए हैं। जाहिर हैं योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभार्थियों का सहयोग भी उतना ही अहमियत रखता हैं जितनी कि अन्य बाते।[4] समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता के बावजूद इनके साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल, सडको, सार्वजनिक यातायात एवं अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में वृद्धि हुई हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं यौन शोषण भी शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्रों में दिनब-दिन की घटनाएं छपी होती जो महिलाओं के साथ होती है जैसे बलात्कार, दहेज के लिए बहू को जलाना, प्रताड़ित करना तथा बालिका का भ्रूणहत्या। यह सच हैं कि आज महिलाओं ने अपने आपको मुख्य धारा में शामिल कर लिया हैं परंतु उनके इस विकास में उनकी द इच्छा शक्ति के साथ मीडिया और भारतीय फिल्मों का भी अत्यंत योगदान हैं जिसके मानसिक तौर पर नारी को निरंतर विकास की ओर गतिशील किया हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समाज में सबसे ऊचा दर्जा दिया गया हैं। [3]वैदिक युग में पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आिशर्वाद देता था कि वह सार्वजनिक कार्य और कलाओं में उत्कष्टता प्राप्त करे। सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण पडाव महिलाओं की उसी ओजस्विता और रचनात्मकता पर आधारित रहे हैं। वस्तुतः भारत दुनिया के उन थोडे से देशों में से हैं जहां की संस्कृति और इतिहास में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त हैं और जहां मनुष्य कों मनुष्य बनाने में उनके योगदान को स्विकार किया गया हैं किंतु विभिन्न कारणों से कालांतर में भारतीय समाज में स्त्रियों की पारिवारीक सामाजिक स्थिति निरंतर कमजोर होती हैं और पुरूष समाज द्वारा आरोपित मर्यादा और अधिनता स्विकार करने हेतु विवश कर दिया गया हैं। 19वी सदीं में बदलाव आना प्रारंभ हुआ जब नवजागरण काल में भारतीय फलक पर अनेक सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए। बंगाल में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। महाराष्ट्र में सन 1848 में सावित्री बाई फुले ने लडकियों हेतु प्रथम स्कूल पुणे में खोला। नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशष्ट प्रयास था फलतः समूचे भारत की महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होने लगी।[2]

20वी सदीं में इस प्रक्रिया को ठोस धरातल और भक्ति भारत में आजादी के बाद मिली। भारत के संविधान ने महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरूषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अब भी दूर थी। खासकर ग्रामीण एवं जनजातीय समाजों की महिलाओं से। संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य अपनी नीति का विशष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्यात साधन प्राप्त करने का अधिकार हों अतः भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। 73 वां संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके अधिकार संपन्न बनाने का अवसर प्रदान किया है अभी हाल ही में महिलाओं के लिए कुछ राज्यों में आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा चुका है और कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव भी संपन्न कराये जा चुके है और कुछ राज्यों में करवाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की सभी क्षेत्रों में सहभागिता बेगी। भारत ने इस

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

प्रक्रिया की शुरूवात करते हुए ग्रामिण अंचलों और विभिन्न समुहों की महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इन जनतांत्रिक इकाइयों से जुडी महिलाएं जैसे जैसे अपनी अधिकारों के प्रति जागरूक होती जाएगी उनके अधिकार वंचित की प्रक्रिया भी उसी गति से थमती जाएगी।[1]

भारतीय समाज में महिला की भूमिका को बडा ही महत्व का स्थान था फिर भी उसे मानव अधिकार नही था उसे अपनी इच्छा से रहने नही दिया जाता था। समाज के नियमों पर और एक सीमित ही दिशा से चलने की अनुमती थी। इस तरह हर वक्त अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पडता था। वैसे ही भारतीय समाज में स्त्रि व पुरूषों को समान अधिकार नही थे। महिलाएं यह पुरूषों की तुलना में बहुत ही कमजोर मानी जाती थी। कुछ अंतराल के बाद महिलाओं की स्थिती में परिवर्तन आने लगा। इसका कारण अंग्रेजो के शासन को माना जाएगा। भारत में अंग्रेजो के शासन काल से भारत में हर क्षेत्र में बहुत ही तेजी से परिवर्तन आने लगा। स्त्री पुरूषों में जो भेद दिखाई देते थे वे दूर होने लगे और दोनो के लिए समान अधिकार दिये गये। इस कारण स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में समान अधिकार दिये गये। महिलाओं को पने की अनुमति दी गई फिर भी आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पाया जाता हैं लेकिन उसे नौकरियां अर्थार्जन करने की अनुमति नही दी जाती। अधिकतर गांवों में देखा जामता है कि 80 प्रतिशत परिवार संयुक्त ही रहता हैं इसका कारण घर के काम व घर के अलावा खेती में काम करने की अनुमति दी जाती हैं। महिलाओं का अर्थार्जन करने की अवसर या अधिकार यह भारत में औद्योगिकरण के बाद ही दिया गया। औद्योगिकरण के कारण ऐसी परिस्थिती तैयार हुई जिसके कारण महिलाओं को भी अर्थार्जन करने की जरूरत लगने लगी।[2]

नारी समाज का एक अभिन्न अंग हैं। अतित से नारी का समाज में सर्वोपरी स्थान रहा हैं। उसे सुख और समृद्धी का प्रतिक माना जाता रहा हैं परंतु गत वर्षो में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ हैं शायद पहले कभी नही हुआ होगा। गत वर्षे दिल्ली में हुए देश भर के पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में बोलते हुए उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवानी ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को चेतावनी दी और इस बात पर दुःख प्रकट किया कि सीटी फोर्ट ऑडिटोरियम के बाहर स्विस महिला के साथ हुए बलात्कार के अपराधियों को पुलिस अब तक पकड नही पायी हैं। उन्होंने कहां कि ऐसी घटनाओं से विदेशों में भारत की छवि खराब होती हैं एवं जिस समाज में स्त्रियां सुरक्षित न हो, वह समाज स्वतंत्र और सभ्य होने का दावा नही कर सकता।[3] विदेशी राजनयिक के साथ बलत्कार की घटना सम्भव ही इसलिए हो सकी क्योंकि देश में और खासतौर से राजधानियों और महानगरों में बलात्कार की घटनाएं तेजी से ब रही हैं और कम से कम प्रशासन के स्तर पर इसके प्रति कोई संवेदनशीलता नही हैं। भारतीय पुलिस तथा प्रशासन को इस योग्य नही बनाया गया कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य माने इसलिये पुलिस में हिंसा, हत्या और बलत्कार को गंभीरता से लेने की प्रवृत्ति पैदा ही न हो सकी। वर्तमान में भारतीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही हैं परंतु इससे उनके प्रति घरेलु हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सडको एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। प्रताडना, छेडछाड, अपहरण, बलत्कार, भ्रूण हत्या (यौन उत्पीडन, दहेज मृत्यु, दहेज निषेद व अन्य) यह अन्याय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करके सिद्घांत की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शमिल हैं। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा हैं।[4]

सर्वप्रथम 1946 में महिलाओं की परिस्थिती पर आयोग की स्थापना की गई थी। महासभा ने 7 नवंबर 1967 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय अंगीकार किया। 1981 एवं 1999 में अभियमय[5] पर ऐच्छिक नवाचार को अंगीकार किया जिससे लैंगीक भेदभाव, यौन शोंषण एवं अन्य दुरूपयोग से पिडित महिलाओं को अक्षम बनाएगा। मानव अधिकारो की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लिया हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनीयम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानव अधिकार न्यायालय अधिसुचित करने की परिकल्पना की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित भी किए जा चुके हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ हैं, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृ होने लगी हैं।[6] अब महिलाउत्पीडन की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानवधिकारो की समुचित सुविधा की हैं। आज महिलाएं कर्मक्षेत्र में भी आगे आई हैं। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन की घटनाएं होने लगी तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप कर यौन उत्पीडन की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। विशाका

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए. आई. आर. 1997 इस. सी. उमा का इस सम्बंध में एक महत्वपूर्ण मानना हैं। उल्लेखनीय हैं कि महिलओं के प्रति निर्दयता को उच्चतम न्यायालय ने एक निरंतर अपराध माना हैं। पति द्वारा पत्नी को अपने घर से निकाल देने तथा उसे मायके में रहने के लिए विवश करने पर आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज किया गया हैं।[7] महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकारो पर विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया हैं कि धर्म, पुलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नही किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई हैं। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नही किया जा सकता हैं। उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलओं को समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन एवं पदोन्नती के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 स्त्रियों को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती हैं। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्री तथा रात्रि में कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसुति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया हैं।[8] बदलते परिवेश में संविधान में 12वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदशर अंगीकृत किया गया हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महीला आयोग नारी सम्मान की रक्षा एवं सतत प्रयासरत हैं। भारतीय संविधान, राज्य व केन्द्र सरकार, पंचायती राज व्यवस्था आदि के माध्यम से महिलाओं पर हाने वाले अपराध व अत्याचार के निदान के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है लेकिन महाराष्ट राज्य में महिलाओं पर अत्याचार सुचारू रूप से फलफूल रहा है। वर्ष 200910 में 16620 हजार महिलाओं ने पुलिस विभाग का सहारा लिया है। ग्रामीण समाज की तुलना में सुशिक्षित व शहरी भाग में अत्याचार का प्रमाण पाया गया। इस राज्य की विधि रिपोर्ट व प्रकाशित समाचार पत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि महिलाओं पर दहेज की मांग को लेकर मराठवाड़ा क्षेत्र में मामले पाये गये है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं का घरेलू हिंसा नियंत्रण के लिए विविध स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम कियान्वित किया जाता है। देश में दहेज लेने वालों पर कानूनी कार्यवाई का प्रावधान किया गया है। यवतमाल जिले में वर्ष 2010 में पारिवारिक कलह से त्रस्त 1200 महिलाओं के अपनी जीवनलीला समाप्त कर चुकी है। यवतमाल 75, अहमदनगर व पूना ग्रामीण में 69 एवं मुमंबई शहर में 68 मामले दर्ज करवाये गये है। इन जिलों में महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए दबाव डाला गया है। इस घटना के लिए यह जिला राज्य की तुलना में प्रथम स्थान पर है।[9]

महिलाओं के प्रति हिंसा विश्वव्यापी घटना बनी हुई हैं जिससे कोई भी समाज एवं समुदाय मुक्त नही हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव इसलिए विद्यमान हैं क्योंकि इसकी जडे सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं। वैसे तो महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के कारणों को समाप्त किये बिना उसका पूर्ण निदान संभव नही पर यदि पाश्चात्य एवं विकसीत देशों पर दृष्टिपात करे तो ऐसा लगता हैं कि इसका कारण मानविय संरचना व स्वभाव में अंतनिहित होने के कारण जड से इसका उन्मुलन सम्भव नही हैं। प्रत्येक स्थल व प्रत्येक प्रकार की महिला विरोधी हिंसा के लिए समाज और समाज और राज्य दोनों को ही अपना नैतिक एवं विधिक उत्तरदायित्व निभाना पडेगा। व्यवहारिक स्वरूप यही मांग करता हैं कि एक ऐसी सामाजिक पहल हों जिससे महिलाओं के प्रति पूरे समाज की सोच बदले।[10]

भारत में महिला हिंसा के भयानक स्वरूप के विरूद्ध संघर्ष के लिए और जन जागृति पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश में मानव अधिकार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हैं जिसके लिए दीर्घकालिन नीति तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठन से सहयोग की जरूरत हैं। आकाशवाणी तथा दूरदशर्न दोनों मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी एवं सक्रिय भूमिका निर्वाह कर सकते हैं हम सभी की जिम्मेदारी है कि महात्मा गॉधी के इस वाक्य 'स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेली घुम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हों'। को साकार करने का निरन्तर प्रयास करना आवश्यक है साथ ही सभी को महिलाओं को जीवन का आधा अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए।[11]

निष्कर्ष

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् "जिस कुल में नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं | पुराने ज़माने से ही कहा जा रहा है कि औरते पैदा नहीं होती अपितु बनती है एवं उनमे दुनिया को बदलने की ताकत होती है, असमानता और संघर्ष की स्थिति में भी महिलाएं ऊपर उठने की क्षमता के साथ काम करती हैं और न केवल अपने जीवन को बदलती हैं बल्कि अपने पूरे

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

समुदाय को बदलने का हौसला रखती है। भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री पंडित जवाहर लाल नेहरु जी ने महिलाओ की समाज में महत्वता के बारे में सही कहा हैं कि:- "लोगों को जगाने के लिये महिलाओं का जागृत होना जरुरी है, एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है[12] तो उनके पीछे–पीछे परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।" आज भारत के विकास और उन्नति में नारीशक्ति का योगदान अतुल्य हैं । इतिहास में भी महिलाओ ने विशिष्ट भूमिका निभाई हैं, जैसे कि भारतीय नारीवाद की जननी – सावित्रीबाई फुले – जिन्होंने देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू करके देश में साक्षरता का नया दीपक जलाया, जिससे महिलाये आत्मनिर्भर हो पायी, ताराबाई शिंदे – जिनकी कृति स्त्री पुरुष तुलना को पहला आधुनिक नारीवादी पाठ माना जाता है और पंडिता रमाबाई – इन्हे ब्रिटिश राज द्वारा कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया क्योकि इन्होने विशिष्ट सामाजिक सेवा से ब्रिटिश भारत के समय एक समाज सुधारक के रूप में महिलाओं की मुक्ति के लिए के लिए कार्य किया था | इसी क्रम में ब्रिटिश राज के दौरान, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे कई समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और उथान के लिए लड़ाई लड़ी |[13] राजा राममोहन राय के ही प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया एवं विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के धर्मयुद्ध ने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जन्म दिया। दुनियाभर में हो रहे बदलावों , जागरूकता , शिक्षा एवं समय -समय पर दुनियाभर में हुए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के साथ दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की बात शुरू हुई जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा | सदियों से लेकर आज तक महिला के अधिकारों को संस्थागत, क़ानूनी एवं स्थानीय रीति-रिवाजों द्वारा अत्यधिक समर्थन मिला और देखते ही देखते महिलाओ को हर स्तर पर एक पहचान मिलने लगी और आज हमरे देश में महिलाओ को कानून के तहत विभिन्न अधिकार प्रदान किये गए है, जिनका संशिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- (1) संवैधानिक अधिकार:- भारतीय संविधान की प्रस्तावना (preamble) में ही कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक एक सामान है | इसे अनुच्छेद 14 के माध्यम से एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया हैं, जो सुनिश्चित करता है कि राज्य [14]किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता हैं और यह वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो महिलाओं को किसी भी महिला आधारित अपराध के खिलाफ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। जबकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में "सुरक्षात्मक भेदभाव" की अनुमति देता है, जिसके अनुसार राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और इस लेख का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें रोजगार सहित राज्य की सभी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे देश में यौनकर्मियों (prostitutes) को कुछ तकनीकी कौशल प्रदान कर देकर उन्हें सम्मान का जीवन प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसके माध्यम से वे अपने शरीर को बेचने के बजाय अपनी आजीविका कमा सकते हैं। (2) शोषण के खिलाफ अधिकार:- भारत के संविधान अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम को प्रतिबंधित करता है, जिसमें अनैतिक या अन्य उद्देश्यों के लिए महिलाओं की तस्करी का निषेध शामिल हैं। गौरव जैन बनाम भारत संघ[2] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वेश्याओं के बच्चों को अवसर की समानता, गरिमा, देखभाल,[15] सुरक्षा और पुनर्वास का अधिकार हैं ताकि मुख्यधारा के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन सके। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 (PITA) ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (SITA) में संशोधन किया है एवं यह अधिनियम केवल व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की निवारण के लिए प्रमुख कानून बना, अर्थात महिलाओं और लड़कियों के लिए वेश्यावृत्ति को रोकने हेतु। यौन कार्य को अपराध की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से 2006 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक संशोधन विधेयक यानी अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक 2006 का प्रस्ताव भी रखा था । (3) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत महिलाओ की विकास और सुशासन के लिए प्रावधान:- भारत के संविधान के तहत महिलाओं के विभिन्न अधिकारों को कानूनों के माध्यम से लागू किया गया है[16]। अनुच्छेद 39 (a) यह निर्देश प्रदान करता है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हैं। अनुच्छेद 39 (d) यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। इसी अनुसरण में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है, जो समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान को वैधानिक अधिकार देता है, जिसे लिंग के आधार पर भेदभाव भी रुकता है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ[3] के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 39क को संविधान में (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया हैं, इसी अनुसरण में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जिसके अंतर्गत महिलाये मान्यता प्राप्त कानूनी सेवा प्राधिकरणों से निशुल्क विधिक सहायता पाने की हक़दार हैं । जिला, राज्य और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण क्रमशः जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गठित हैं। [17]कानूनी सेवाओं में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी मामले या अन्य कानूनी कार्यवाही के संचालन में सहायता करना और कानूनी मामलों पर सलाह देना शामिल है। अनुच्छेद 42 में प्रावधान है कि राज्य काम और मातृत्व राहत (Maternity Benefit) के लिए न्यायसंगत और मानवीय स्थिति हासिल करने के लिए प्रावधान करेगा और इस उद्देश्य के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 बनाया गया है। (4) महिलाओं को विशेष आरक्षण:- 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों/ नगर पालिको के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं के एक निश्चित अनुपात को सुनिश्चित करने के तहत अनुच्छेद 243- D(3), (4) और 243- T(3), (4) के अनुसार, प्रत्येक पंचायत/नगर पालिका में निदेशक चुनाव सीटों की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

सीटों (एससी और एसटी सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। (5) मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):- अनुच्छेद 51क (ड.) महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागता है।[18] (6) वैवाहिक और पारिवारिक मामले:- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के अंतर्गत वाद लम्बित रहते महिलाओं को भरण- पोषण तथा स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण का अधिकार और हिंदू विवाह अधिनियम, केवल हिंदू महिलाओं के लिए भरण-पोषण की सुविधा प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अंतर्गत पति पर पत्नी (तलाकशुदा समेत) का भरण-पोषण का दायित्व होता है, सिवाय इसके कि जब पत्नी व्यभिचार में रहती है या बिना उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या जब आपसी सहमति से दोनों अलग-अलग रहते हैं। उक्त धारा के तहत, कोई भी भारतीय महिला चाहे उसकी जाति और धर्म कुछ भी हो, अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। हिंदू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात् विवाहित हो, अपने जीवनकाल में अपने पति से भरणपोषण पाने की हक़दार होगी ।[19] हिंदू पत्नी अपने भरणपोषण के दावे को समपहृत किए बिना अपने पति से पृथक् रहने के लिए हक़दार होगी। धारा 19 के अंतर्गत कोई हिंदू पत्नी, अपने ससुर से भरणपोषण प्राप्त करने की हक़दार होगी , परंतु यह जब तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहां उसके पास अपनी कोई भी सम्पत्ति नहीं है। धारा 20 के अंतर्गत पिता का अविवाहित पुत्री के भरण पोषण करने की बाध्यता जो स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य सम्पत्ति से भरण पोषण करने में असमर्थ हो । विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किये गए विवाह में धारा 36 और 37 के अंतर्गत महिलाओं को वादकालीन निर्वाहिका तथा स्थायी निर्वाहिका और भरणपोषण का अधिकार हैं। लिव–इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) एवं भरण–पोषण – चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा[4] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक लिव-इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर धारा 125 , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पुरुष के विरुद्ध भरणपोषण की हकदार होगी। अदालत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर मलीमठ समिति की 2003 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में "पत्नी" शब्द में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि एक ऐसी महिला को शामिल किया जा सके जो काफी लंबी अवधि के लिए पत्नी की तरह पुरुष के साथ रह रही हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्र सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा[5] में निर्धारित आधारों को लागू करते हुए कहा कि जब लिव-इन रिलेशनशिप "विवाह की प्रकृति" की अभिव्यक्ति के भीतर आता है, तो बेंच ने कहा कि महिला को अंतरिम भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार मिल सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का उद्देश्य संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और इससे जुड़े या उसके प्रासंगिक किसी भी प्रकार के मामलों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान रखता हैं ।[20] दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अधिनियम का उद्देश्य दहेज लेने या देने पर रोक लगाना है तथा इस कारण समाज में उपजे दहेज़ से सम्भंदित अपराधों को रोकना है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बुज़ुर्ग महिलाओं को भरणपोषण का अधिकार के साथ अन्य संरक्षण भी प्रदान किया गया है। (7) संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार:- हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 महिलाओं को बेहतर अधिकार देने के लिए परिवर्तन लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा[6] में एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया, जिसमें कहा गया कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective application) होगा। 2005 के संशोधन ने लैंगिक समानता के संवैधानिक विश्वास के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया और कहा गया कि बेटी जन्म से ही बेटे की तरह अपने आप में एक सहदायिक मानी जाये जाएगी। विनीता शर्मा मामले ने इस प्रश्न को सुलझाया, 2005 के संशोधन ने बेटी का पुत्र के समान अधिकार माना, भले ही संशोधन से पहले पिता जीवित हो।[21] 2005 में संशोधन के साथ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में पहली बार महिलाओं को समान विरासत अधिकार प्रदान किया गया, जिससे महिलाओं की सीमित संपत्ति की अवधारणा को समाप्त कर दिया।अरुणाचल गौंडर बनाम पोन्नुस्वामी[7] के फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक हिंदू पुरुष की बेटियां, मरते हुए पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार होंगी और परिवार के अन्य संपार्श्विक सदस्यों पर वरीयता प्राप्त करेंगी। (8) भारतीय दंड सहिंता 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872:- धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: बलात्कार के लिए कुछ अभियोगों में सहमति की अनुपस्थिति के रूप में उपधारणा- बलात्कार के लिए एक अभियोजन में खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ड.) या खंड (च) के तहत भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उप-धारा (2) के तहत, जहां आरोपी द्वारा यौन संबंध साबित होते हैं और सवाल यह है कि क्या यह कथित महिला की सहमति के बिना बलात्कार का आरोप लगाया गया था और वह अदालत के समक्ष उसके साक्ष्य में कहा गया है कि उसने सहमति नहीं दी, न्यायालय यह मान लेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 ने भारतीय दंड संहिता में बदलाव पेश किए धारा 354 के बाद नयी धाराएँ 354A – 354D जोड़ी गयी जिसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न, महिला का पीछा करना आदि के जुर्म में गिरफतारी का प्रावधान है[22]। तेजाब हमलों को एक विशिष्ट अपराध बना दिया जिसमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और जिसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है। मर्यादा और शालीनता महिलाओं का निजी अधिकार माना जाता है परन्तु जब कोई महिलाओ की शालिनत या गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है तो धारा 509, भारतीय दंड संहिता, के तहत ऐसे प्रावधान है, जिनके तहत उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 यह सुनिश्चित कराती हैं कि अगर किसी अपराध में कोई महिला अपराधी है तो उसकी

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

गिरफ्तारी और तलाशी एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, उसकी चिकित्सा परीक्षा एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या एक महिला चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में की जानी चाहिए। बलात्कार के मामलों में, जहां तक संभव हो, एक महिला पुलिस अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए[23]। इसके अलावा, उसे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। (9) सती आयोग (निवारण) अधिनियम 1987:- इसका उद्देश्य सती प्रथा को रोकना हैं और ऐसे कृत्य का महिमामंडन करना दण्डनीये अपराध की श्रेणी में माना गया है। (10) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:- यह अधिनियम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम से पूर्व कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[8] में दिशा निर्देश दिए थे। माननीय न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को नए रूप में परिभाषित किया है जिसमे शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना शामिल किया गया। (11) महिलाओं का अश्लील चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986:- अधिनियम के तहत विभिन्न ऐसे प्रावधान है, जिनमे महिलाओ के अश्लील चित्रण को व्यापक अर्थ देने के साथ इस अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है[24]। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन एवं पेंटिंग या किसी अन्य रूप में महिलाओं के अश्लील चित्रण या महिलाओं के वस्तुकरण को रोकना है। (12) भारतीय सेना में समान अवसर:- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया[9] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक निर्णय में, महिलाएं को भारतीय सेना में समान अवसरों प्रधान करे और शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिलाओं को स्थायी कमीशन दें और उन्हें युद्ध के अलावा अन्य सभी सेवाओं में कमांड पोस्टिंग दें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में माही यादव बनाम भारत संघ[10] जनहित याचिका में अधिवक्ता माही यादव ने देश के सभी सैनिक स्कूलों एवं मिलिट्री स्कूलों में छात्राएं को उनके लिंग के कारण उक्त स्कूलों में प्रवेश वर्जित होने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष उठाया। जिसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय में केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि शिक्षा का अधिकार छात्राएं को मौलिक अधिकार हैं।[25] इन्ही के फलस्वरूप आज सैनिक स्कूलों में लड़को के साथ लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाने लगा हैं। (13) विवाहित बेटी का अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी का अधिकार:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार बनामN. Apporva Shree[11] में फैसला सुनाया कि एक विवाहित बेटी अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी की हकदार है। न्यायालय ने कहा कि यह धारणा कि एक बेटी अब शादी के बाद अपने पिता के घर का हिस्सा नहीं है और अपने पति के घर का एक विशेष हिस्सा बन जाती है, पुरानी मानसिकता को दर्शाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने शेफाली सांखला बनाम राजस्थान राज्य[12] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के दिर्ष्टयतो के मद्देनज़र विवाहिता बेटी को नियुक्ति प्रदान की हैं। (14) गर्भावस्था के पूर्व, दौरान और बाद में महिलाओ के अधिकार मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)[26] :- महिलाओं के मातृत्व के समय के दौरान उनके रोजगार की रक्षा करता है और उन्हें मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों का अधिकार देता है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) में संशोधन पारित किया गया है। यह अधिनियम संविदात्मक या सलाहकार महिला कर्मचारियों के साथ-साथ उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के समय पहले से ही मातृत्व अवकाश पर हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम ने महिला कर्मचारियों के लिए (जिनके दो से कम जीवित बच्चे हो) उपलब्ध सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा भी उपलब्ध हैं।[27] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका (हमसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ) पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि एक महिला जो क़ानूनी रूप से तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी। महिलाओं के मातृत्व के समय के दौरान उनके रोजगार की रक्षा करता है और उन्हें मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों का अधिकार देता है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) में संशोधन पारित किया गया है। यह अधिनियम संविदात्मक या सलाहकार महिला कर्मचारियों के साथ-साथ उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के समय पहले से ही मातृत्व अवकाश पर हैं। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम (1994):- गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है और लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकता है जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:- जो वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। यह अधिनियम 'प्रगतिशील' है और इसका उद्देश्य सरोगेट मदर के शोषण को रोकना है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, [29]1971:- इस अधिनियम को सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण पारित किया गया था। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के एक ऐतिहासिक कदम में भारत ने व्यापक गर्भपात देखभाल प्रदान करके महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने हेतु अधिनियम 1971 में संशोधनकिया। नए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 को व्यापक देखभाल के लिये सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय, उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने हेतु लाया गया है। एयर इंडिया बनाम नरगेश मीर्ज़ा[13] में, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करने वाली एयर होस्टेस ने रोजगार नियमों की संवैधानिकता को चुनौती दी है जो पहली गर्भावस्था पर रोजगार समाप्ति के लिए प्रदान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नियामक आवश्यकता को मनमाना और अनुचित बताया,

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना । इसके बजाय, न्यायालय ने एक संशोधन का समर्थन किया कि वास्तव में उनकी तीसरी गर्भावस्था पर दो जीवित बच्चों के साथ एयरहोस्टेस की सेवानिवृत्ति की आवश्यकता होगी और कहा कि ऐसा संशोधन महिलाओं के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय परिवार नियोजन योजना के हित में होगा। [28](15) महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए मुआवजा:- बलात्कार मानव जाति के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, क्योंकि किसी भी अन्य अपराध में अपने आप में सभी लागतें शामिल नहीं होती हैं जैसे लेनदेन लागत + सामाजिक लागत + मनोवैज्ञानिक लागत। बोधिसत्व गौतम बनाम सुभ्रा चक्रवर्ती में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे दोहराया। "बलात्कार केवल एक महिला (पीड़ित) के व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह एक महिला के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में डाल देता है। यह केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से है कि वह समाज में अपना पुनर्वास करती है, जो बलात्कार के बारे में पता चलने पर, उसे उपहास और अवमानना में देखता है। इसलिए, बलात्कार सबसे घृणित अपराध है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ अपराध है और इसका उल्लंघन भी है पीड़ित को मौलिक अधिकारों का सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, अर्थात् जीवन का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में निहित है।" महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित कानून में अपर्याप्तता को दूर करने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम[29], 2013 अधिनियमित किया गया था, जिसके कारण निर्भया फंड (Nirbhya Fund) का निर्माण हुआ। धारा 357क भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, इस उद्देश्य के लिए बनाई गई निधि से बलात्कार और यौन अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व प्रदान करती है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के लिए यौन [30]अपराधों और एसिड हमलों के लिए पीड़ित मुआवजे के लिए मॉडल नियम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना उचित समझा। इसके बाद, समिति ने महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना – 2018 को अंतिम रूप दिया। योजना के अनुसार, सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को न्यूनतम 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।इसी तरह, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता को न्यूनतम 4 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये मिलेंगे। एसिड अटैक के पीड़ितों को चेहरे की विकृति के मामले में न्यूनतम 7 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जबकि ऊपरी सीमा 8 लाख रुपये होगी। अदालत ने तब उक्त योजना को पूरे भारत में लागू होने के लिए स्वीकार कर लिया, जो कि देश का कानून है। स्त्रैदेवः,स्त्रैप्राणः भारत में महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में , चाहे वो शिक्षा, रक्षा खेल, राजनीति, मीडिया, कला एवं संस्कृति, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेती हैं.भारतीय महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज, वर्ग और धर्म के उत्पीड़न के तहत विकसित होने में बेहद कठिन समय मिला है, लेकिन अब चुप्पी तोड़ने का समय है। [31]महिलाओं को सम्मान का अधिकार है। अगर हर माता-पिता अपने बेटे को महिलाओं का सम्मान करना और उनके साथ सम्मान से पेश आना सिखाते, तो एक दिन ऐसा आता जब उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा का डर नहीं होता। यह एक वास्तविक और समग्र शिक्षा होगी। बेशक, हमारी मानसिकता और पितृसत्तात्मक विचारों को बदलने की जरूरत है, जिन्होंने सदियों से भारतीय मानसिकता को अपनी चपेट में लिया है। भारतीय कानून महिलाओं की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करता है। महिलाओं के इन सबसे आम लेकिन बुनियादी अधिकारों को हर भारतीय महिला को जानना चाहिए। जो कानून जानता है उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। कानून ही उसका हथियार है जो उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता आपको स्मार्ट और न्यायपूर्ण बनाती है। यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, तभी आप घर, कार्यस्थल या समाज में आपके साथ हुए किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं।[32]

संदर्भ

1. रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा: भारतीय समाज में नारी- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
2. डा॰॰. मंजुलता छिल्लर: भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 2010
3. डा॰॰. प्रज्ञा शर्मा: भारतीय समाज में नारी- पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
4. रमा शर्मा व एम. के. मिश्रा: महिला विकास- अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 2010
5. डा॰॰. वीरेन्द्र सिंह यादव: नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तीकरण-अवधारणा, चिन्तन एवं सरोकार भाग 1 एवं 2, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010
6. डा॰॰. बी.एल. फाड़िया: लोक प्रशासन एवं शोध प्रविध- साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2007
7. डा॰॰. एम. के. जैन: शोध विधियां- यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
8. डा॰॰. एम.एस अंसारी: शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता- रमेश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, दिसम्बर 2009
9. कम्पेंडियम जनरल ना॰लेजः 2011
10. प्रो. मधुसूदन त्रिपाठी: भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008
11. आशा कौशिक: मानवाधिकार और राज्यः बदलते संदर्भ, उभरते आयाम- पोइन्टर पब्लिर्शस, जयपुर 2004
12. डा॰॰. सुरेन्द्र कटारिया: भारतीय लोक प्रशासन- नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
13. Gonsalves Lina : A Women and Human Right, APH Publishing co., New Delhi, 2001

ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 5, September 2022 |

14. Gupta U.N : A The Human Rights , Atlantic Publishing, New Delhi, 2004
15. Jayapalan N. : Women & Human Rights, Discomvery Public House, New Delhi- 2006
16. http://days.jagranjunction.com/12/10/2010/human rights day.
17. http://hindi.webdunia.com.
18. http://nhrc.nic.in/
19. http://buzzle.com/articles/list of human rights isuues.html.
20. http://www.omenrights.com.html.
21. htpp://www.un.org/en/rights.
22. मानव अधिकार - डॉ. शिवदत्त शर्मा
23. लोकतांत्रिक भारत में मानवाधिकार (आलेख)- डॉ. पुनित कुमार
24. भारत में लोकतंत्र - कैलाश पुस्तक सदन , भोपाल
25. मानवाधिकार और भारतीय संविधानःसंरक्षण एवं विश्लेषण - प्रदीप त्रिपाठी
26. महिला जागृति और सशक्तिकरणः संजीव गुप्ता व सोनी वर्मा सवलिया बिहारी अविश्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, राजस्थान, 2005
27. जनरल नॉलेजः 2011
28. भारत : 2010
29. समाजः नाटाणी नारायण गौतम ज्योति रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, नई दिल्ली 2005
30. भ्नउंद त्पहीजे रू ळवदेंसअमे स्पदं . ।ण्च्ण्भ्ण च्नइसपेीपदह छमू क्मसीपए 2001
31. डंतंजीप कंपसल रू 24 क्मबमउइमत 2010
32. समाज में नारी : रमा शर्मा व एम के मिश्रा अर्जुन पब्लिशंग हाउस दिल्ली, 2010